भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2518
3 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा आर्थिक सहायता

2518. डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) युवा शंकर योजना और महाराष्ट्र राज्य को आबंटित और संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चिन्हित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों एवं धनराशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सहकारिता के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) शुरुआत (1962-63) से 2020-21 तक एनसीडीसी ने संचयी रूप से महाराष्ट्र राज्य में 17438.47 करोड़ रुपये संवितरित किए और वर्ष 1990-91 से 2020-21 की अवधि के दौरान जिलेवार निर्मुक्ति अनुबंध-I पर है;

(ख) युवा सहकार योजना का विवरण अनुबंध-II पर है। महाराष्ट्र राज्य में अभी तक युवा सहकार योजना के तहत कोई धनराशि स्वीकृत और जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमआईएस/पीएसएस में सुधार, कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों को एनसीडीसी के माध्यम से बढ़ी हुई वित्तीय सहायता शामिल है। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के सदस्य और कर्मचारी किसानों को प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि निगम (सीएसआईएसी) योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से फसल कटाई के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सीएसआईएसएसी योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इनमें कृषि आदानों की आपूर्ति के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उपज का विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण शामिल है। सावधि ऋण के अलावा राज्य की श्रेणी के आधार पर सहकारी समितियों को 15% से 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार नेफेड के खरीद कार्यों के लिए गारंटी भी प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के लिए कृषि निगम (सीएसआईएसी) योजना पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना के तहत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	एनसीडीसी को जारी की गई निधि
2016-17	13001.00
2017-18	22801.13
2018-19	13777.75
2019-20	19453.25
2020-21	37914.885

अनुबंध-I

महाराष्ट्र राज्य में जिलेवार और वर्षवार निर्मुक्ति

(रूपए लाख में)

वर्ष	जिले																									कुल
	अहमदनगर	औरंगाबाद	बीड	धुले	हिंगोली	जलगांव	जालना	कोल्हापुर	लातूर	मुम्बई	नागपुर	नांदेड़	नंदूरबार	नाशिक	उस्मानाबाद	पूणे	रायगढ़	रत्नागिरि	सांगली	सतारा	सिंदूरगढ़	सोलापुर	ठाणे	वासिम	यवतमाल	
1990-91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1991-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**806.25**
1992-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**410.25**
1993-94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1899.41**
1994-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2662.98**
1995-96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1996-97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**140.80**
1997-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.53	0.00	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.62	0.00	0.00	0.00	**1221.90**
1998-99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.78	0.00	0.00	0.00	**986.93**
1999-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.94	0.00	876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2983.01**
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1572.21	0.00	1151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	**2906.96**
2001-02	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	3476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4638.98**
2002-03	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.85	0.00	1483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3936.57**
2003-04	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.40	0.00	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3856.63**
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.48	0.00	4258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33	0.00	0.00	81.25	0.00	0.00	1273.78	0.00	0.00	0.00	**6463.05**
2005-06	0.00	0.00	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00	1275.00	0.00	6917.30	0.00	0.00	25.91	0.00	0.00	1807.80	0.00	0.00	672.63	0.00	0.00	770.26	0.00	0.00	0.00	**11501.84**
2006-07	0.00	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	3688.00	0.00	7858.47	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	854.60	0.00	0.00	3097.45	0.00	0.00	411.50	0.00	0.00	0.00	**15935.06**
2007-08	1992.29	0.00	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00	3732.50	0.00	11710.67	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	429.81	0.00	0.00	1637.87	0.00	0.00	3645.83	0.00	0.00	0.00	**23177.28**
2008-09	0.00	0.00	0.00	38.55	0.00	0.00	459.30	3482.50	0.00	19291.86	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	5961.10	0.00	0.00	782.65	2248.50	0.00	1213.14	0.00	0.00	0.00	**33487.70**
2009-10	1817.94	0.00	150.00	23.68	0.00	0.00	1725.96	3350.00	1315.68	17809.86	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	7961.77	0.00	0.00	5333.87	4211.57	0.00	3074.51	0.00	0.00	0.00	**46784.94**
2010-11	1380.26	0.00	820.01	14.65	2513.13	0.00	1309.63	7006.96	1297.82	20548.58	0.00	0.00	7.55	3483.00	1304.73	4944.29	0.00	0.00	6683.29	5850.08	0.00	8669.91	0.00	0.00	0.00	**65833.90**
2011-12	908.12	0.00	589.83	0.37	0.00	0.00	0.00	11529.72	12500.00	21211.15	0.00	0.00	0.00	1326.47	400.41	11813.67	0.00	0.00	12254.09	0.00	0.00	45428.35	0.00	0.00	0.00	**117962.17**
2012-13	3814.73	0.00	8715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10254.63	8400.00	8379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14544.64	0.00	0.00	4303.44	3035.74	0.00	80699.35	0.00	0.00	0.00	**142147.83**
2013-14	999.70	0.00	2893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10694.22	10113.60	8182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18006.02	0.00	0.00	11468.32	880.00	0.00	12918.14	0.00	0.00	0.00	**76156.09**
2014-15	10448.92	0.00	1533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7030.84	18213.60	4792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	283.52	9996.48	0.00	0.00	12432.12	0.00	0.00	2593.90	0.00	0.00	0.00	**67325.34**
2015-16	21883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6054.47	13051.00	3865.31	0.00	0.00	2620.00	0.00	1869.32	6143.37	0.00	0.00	13083.15	95.92	0.00	27523.00	0.00	0.00	1500.00	**97689.09**
2016-17	22726.88	0.00	5026.26	3500.00	0.00	3840.58	0.00	23907.52	5000.00	626.90	0.00	0.00	3860.00	0.00	212.70	18468.30	1217.92	240.08	86599.37	484.48	193.98	35586.75	221.55	0.00	1480.00	**213193.27**
2017-18	14207.95	0.00	2742.23	0.00	0.00	3746.43	0.00	58487.45	0.00	41.54	2000.00	0.00	7387.00	0.00	0.00	23900.41	18.92	357.20	72570.82	3786.12	0.00	30523.40	72.74	0.00	4735.20	**224577.41**
2018-19	3175.03	0.00	1612.55	0.00	0.00	1071.35	9487.95	39008.80	0.00	0.00	2730.00	1703.29	3560.00	0.00	0.00	35952.76	0.00	0.00	40090.57	1011.84	0.00	38825.00	0.00	0.00	197.97	**178427.11**
2019-20	1183.62	0.00	136.73	50.00	0.00	114.87	4910.00	23571.28	0.00	0.00	2856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11889.21	0.00	0.00	25865.49	693.32	0.00	30061.70	0.00	0.00	173.94	**101506.54**
2020-21	650.00	0.00	915.76	475.00	0.00	1075.31	5591.30	21502.71	0.00	186.09	1368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17962.60	0.00	0.00	38701.00	1046.02	0.00	24588.00	0.00	0.00	496.44	**114559.10**

अनुबंध-।।

युवा सहकार: सहकारी उद्यम (एंटरप्राइज़) सहायता और नवाचार योजना 2019

इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की गतिविधियों कवर करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है।

पात्रता

क) नई, नवाचारी और मूल्य श्रृंखलावर्धन निहित परियोजनाओं वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

ख) सहकारी समिति को कम से कम 3 महीनों के लिए प्रचालन में होनी चाहिए।

ग) सहकारी समिति की सकारात्मक नेट-वर्थ होनी चाहिए।

घ) सहकारी समिति ने प्रचालन के पिछले वर्ष (वर्षों) में नकद नुकसान न वहन किया हो, जैसा कि लागू है, और न ही पिछले 3 वर्षों (यदि समिति 3 साल से अधिक के लिए प्रचालन में है) में कोई नकद नुकसान वहन नहीं किया है।

परियोजना लागत

क) सहकारी समिति जो एक या एक से अधिक वर्ष के लिए प्रचालन में है, के मामले में परियोजना लागत 3 करोड़ रूपए से अधिक नही होनी चाहिए।

ख) सहकारी समिति जो 3 महीने से अधिक अवधि लेकिन एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रचालन में है, के मामले में परियोजना लागत 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि एक या एक से अधिक वर्ष के लिए प्रचालन वाली सहकारी समिति यदि उन्होने पहले से कोई सहायता प्राप्त की है उन्हें छोड़कर एक बार अपने प्रचालन का 1 वर्ष पूरा करने वाली सहकारी समिति यथा स्वीकृत सहायता के लिए पात्र हो जाएगी

ग) परियोजना की प्रकृति और गतिविधियों के आधार पर परियोजना के भाग के रूप में कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है। तथापि कार्यकारी पूंजी कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 5 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल है। ऋण स्थगन की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है जो इसकी परियोजना के प्रकार और राजस्व सृजन क्षमता पर निर्भर करती है।

ब्याज की दर

एनसीडीसी परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋणों पर ब्याज की लागू दर से 2 प्रतिशत कम दर पर प्रोत्साहन के रूप में ऋण देगी। ब्याज सहायता समय पर भुगतान के मामले में केवल एक बार मान्य होगी।

सिक्योरिटी

एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए सहकारी समिति निम्नलिखित किसी एक या अधिक संयोजन में ऋण के लिए सिक्योरिटी का प्रस्ताव दे सकती है:

- क) प्रस्तावित परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों को गिरवी रखना।
- ख) अनुसूचित बैंकों का एफडीआर।
- ग) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी जो अच्छी वित्तीय स्थिति और प्रमाणित पृष्ठभूमि वाले संस्थान हैं।
- घ) राज्य/केन्द्र सरकार की गारंटी
- ङ) केन्द्रीय पीएसयू/सांविधिक निकाय/ केन्द्रीय पीएसयू के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी।
- च) लघु किसान कृषि व्यवसाय परिसंघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की गारंटी।
- **छ)** आवधिक जमा प्राप्ति (एफडीआर) और/ अथवा अनुसूचित बैंकों की गारंटी के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की निजी गारंटी।

राजसहायता

केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) अथवा अन्य किसी स्रोत के तहत राजसहायता के लिए प्रस्तावित गतिविधि हेतु पात्र व्यक्ति के मामले में भी यह लागू होगा। तथापि यदि परियोजना लागत में कार्यकारी पूंजी ऋण घटक शामिल हैं तो सीएसआईएसएसी राजसहायता तभी पात्र होगी जब केवल परियोजना लागत (कार्यकारी पूंजी को छोड़कर) परियोजना लागत के पूंजी निवेश हेतु पात्र होगी। परियोजना के शीघ्र और सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजसहायता के बदले पात्र ऋण प्रदान किया जा सकता है। एनसीडीसी द्वारा आगे संवितरण करने के लिए जब भी राजसहायता प्राप्त होती है तब उसे ऋण खातें के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

वित्तीय पद्धति (पैटर्न)

परियोजनाओं को ऋण: साम्या अनुपात वाली वित्तीय पद्धति सहित निम्नानुसार सहायता दी जाएगी:

श्रेणी-क:

80 प्रतिशत: 20 प्रतिशत

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- नीति आयोग द्वारा यथा चिंहित महत्वकांक्षी जिलों में पंजीकृत और प्रचालित किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- 100 प्रतिशत महिला सदस्यों वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग सदस्यों वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

श्रेणी-ख:

70 प्रतिशत: 30 प्रतिशत

- सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए श्रेणी-क के तहत कवर न होने वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

राजसहायता केवल प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पात्र है, जो उपलब्धता के अध्यधीन है, ऋण घटक समानुपातिक रूप से कम हो सकता है।

******